

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
05/12/2025 14:55 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/12/2025 **Time (समय):** 14:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/12/2025 14:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):**

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** मनोज कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1978

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	H N 1235, Professor Colony Kurukshetra, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	H N 1235, Professor Colony Kurukshetra, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8373937444

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	SI Sumit थाना धौज फरीदाबाद			1. थाना धौज, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	रिश्त राशि 1,50,000 रुपये	1,50,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)): 1,50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में इंस्पेक्टर साहब विजिलेंस कुरुक्षेत्र श्रीमान जी निवेदन है कि मैं मनोज कुमार पुत्र भले राम निवासी मकान नंबर 1235 प्रोफेसर कॉलोनी कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं नेक्सा जीपीएस एंड प्रोडक्ट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का मालिक हूं। नवंबर 2023 से मेरी कंपनी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का काम कर रही है। दिनांक 08.09.2025 को राहुल पुत्र रहीमुद्दीन निवासी धौज जिला फरीदाबाद ने मेरे खिलाफ एक शिकायत थाना धौज फरीदाबाद में देकर मेरे खिलाफ

मुकदमा नंबर 172 दिनांक 08.09.2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना धौज फरीदाबाद दर्ज करवा दिया जिसमें मेरी कंपनी का कर्मचारी नफीस को इस मुकदमा में सितंबर 2025 में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद थाना धौज फरीदाबाद एसएचओ नरेश कुमार ने मुझे मुझ पर दबाव बनाया कि आपकी कंपनी में महिला कर्मचारियों को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार करूंगा और मेरे से रिश्त देने बारे कहा। फिर मैंने अपना वृंदावन में प्लाट बेचकर और अपनी पत्नी के सोने के गहनों को फेडरल बैंक कुरुक्षेत्र से ₹ 400000 लोन लेकर कुल ₹ 1500000 एसएचओ नरेश को और ₹ 100000 एसआई सुमित को अपनी कंपनी की महिला कर्मचारियों की गिरफ्तारी के डर से रिश्त के पैसे दे दिए। रिश्त के पैसे देने के बाद मुझे मुकदमे में शामिल तपस्वीश करके पुलिस जमानत पर छोड़ दिया और एसआई सुमित मेरे मुकदमा का चालान कोर्ट में नहीं दे रहा है और एसआई सुमित मेरे ऊपर दबाव बनाकर मुकदमा उपरोक्त का चालान कोर्ट में देने के लिए ₹ 50000 अपने नाम के व 100000 रुपये एसएचओ नरेश कुमार के नाम से रिश्त के पैसे की मांग कर रहा है। एसआई सुमित अपने मोबाइल फोन 7011116374 से मेरे फोन नंबर 8373937444 पर whatsapp कॉल करके ₹ 50000 अपने नाम के और ₹ 100000 एसएचओ नरेश कुमार के नाम के रिश्त के पैसे देने के लिए मुझे बुला रहा है। यदि मैं उसको रिश्त के रुप नहीं दूंगा तो वह मेरे मुकदमा का चालान कोर्ट में नहीं देगा। मैंने अपने दूसरे मोबाइल में अपने तथा एसआई सुमित के बीच रिश्त संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग की हुई है जिसको मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। मैं एसआई सुमित को रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता तथा एसआई सुमित से ₹ 100000 एसएचओ के नाम की रिश्त तथा ₹ 50000 एसआई सुमित के नाम के कुल ₹ 150000 रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मैं अपनी शिकायत के साथ ₹ 500-500 के 300 नोट मुबलिक ₹ 150000 रुपए आपको पेश कर रहा हूँ। एसआई सुमित व एसएचओ नरेश के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाए। मनोज कुमार sd- प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र भले राम निवासी मकान नंबर 1235 प्रोफेसर कॉलोनी कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर 8373937444 कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 05.12.2025 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान के कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र मौजूद हूँ जो इसी दौरान मनोज कुमार पुत्र श्री भलेराम निवासी मकान नम्बर 1235 प्रीफेसर कालोनी कुरुक्षेत्र ने हाजिर कार्यालय आकर एक स्वयं की हस्तलिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की, मन निरीक्षक ने शिकायत कर्ता से रेड करवाने बारे पुछताछ की और सन्तुष्ट होने पर अफसरान बाला से विचार विमर्श करने उपरान्त रेड कार्यवाही बारे आदेश लेने पर अफसारां बाला से आग्रह करके राजपत्रित गवाह नियुक्त करवाया गया। राजपत्रित गवाह को बजरिया फोन अपने साथ एक अन्य साधी कर्मचारी बतौर छाया गवाह के रुप में साथ लेकर कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में आने बारे आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किये गये मुबलिंग 500/500 रुपये के 300 नोट कुल 1,50,000/- रुपये की अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। पहले से सुचित राजपत्रित गवाह श्री जगबीर, जिला उप आबकारी एवम कराधान आयुक्त (बिक्री) कुरुक्षेत्र अपने साथी कर्मचारी के साथ हाजिर कार्यालय आया। मन निरीक्षक द्वारा यह नम्बरी नोट मुताबिक फर्द सूची नोट के और मुदई मनोज कुमार को राजपत्रित गवाह श्री जगबीर, जिला उप आबकारी एवम कराधान आयुक्त (बिक्री) कुरुक्षेत्र व छाया गवाह श्री राकेश कुमार, कर निरीक्षक, कार्यालय जिला उप आबकारी एवम कराधान आयुक्त (बिक्री) कुरुक्षेत्र के सम्मुख पेश किया। राजपत्रित गवाह द्वारा मुदई मनोज कुमार से पूछताछ करके इन नोटों के नम्बरो का मिलान मुताबिक सूची नोट नम्बरो से करने उपरान्त यह नोट मेरे हवाले किये। मैंने इन नम्बरी नोटों पर ब्रश से फिनोल पैथालीन पाउडर लगाकर मुदई मनोज कुमार की जामा तलाशी लेकर उपरोक्त नोट करन्सी हवाले मुदई मनोज कुमार किये ताकि वह SI सुमित के मांगने पर रिश्त की राशि उसे दे सके व नियुक्त किये गये छाया गवाह श्री राकेश कुमार, कर निरीक्षक, कार्यालय जिला उप आबकारी एवम कराधान आयुक्त (बिक्री) कुरुक्षेत्र को हिदायत की गई कि यह मुदई के साथ-2 रहकर SI सुमित व मुदई के बीच होने वाली बातचीत को सुनेगा और SI सुमित द्वारा यह रिश्त राशि मांगने उपरान्त, SI सुमित के रिश्त राशि प्राप्त करने उपरान्त रेडिंग पार्टी को मुकरर शुदा ईशारा करेगा। रेडिंग पार्टी के हाथ साफ पानी में साबुन से धुलवाए गए। फर्द पर राजपत्रित गवाह व गवाहन ने अपने 2 हस्ताक्षर किए। फर्द पेशगी व हवालगी करन्सी नोट, जामा तलाशी मुदई तैयार की गई। दरखास्त उपरोक्त से SI सुमित द्वारा मुकदमा नम्बर 172 दिनांक 08.09.2025 धारा 318 (4) BNS थाना धौज फरीदाबाद का चालान न्यायालय में देने की ऐवज में और शिकायतकर्ता मनोज पर दबाव बनाकर मनोज कुमार से 1,00,000/- रुपये बतौर रिश्त SHO नरेश के नाम की व 50,000/- रुपये बतौर रिश्त अपने नाम की मांगने पर SI सुमित के विरुध अपराध धारा 7,7A पी.सी. एक्ट 1988 व 308 (2) BNS का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बदस्त स.उप.नि. कैलाश चन्द न. 994/ कैथल के बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज, प्रबन्धक थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद की सेवा मे भेजा

जा रहा है। कृपया तहरीर पर अभियोग अंकित करके मिशल अभियोग, नकल मिशल मौका पर व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट फरीदाबाद व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाईं। मन निरीक्षक मय रैडिंग पार्टी मय शिकायत कर्ता मनोज कुमार उपरोक्त व राजपत्रित गवाह, छाया गवाह को साथ लेकर बा सवारी गाडी सरकारी न. HR-03GV-7947 व प्राइवेट व्हीकलो के रैडिंग पार्टी तैयार करके, तफतीशी बैग व लैपटाप, प्रिन्टर को साथ लेकर अगामी कार्यवाही हेतु खाना मौका का होता हूँ। अज- कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्रा SD- निरीक्षक, राज्य सतर्कता भ्र.नि. ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र दिनांक-05.12.2025 At 8:15 AM अज थाना: हस्ब आमद तहरीर स.उप.नि. कैलाश चन्द न. 994/कैथल के समय 02.30 थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा न० 28 दिनांक 05.12.2025 धारा 7, 7A PC ACT, 1988 व 308(2) BNS थाना SVACB/FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हज़ा की स्पेशल Ct वेद प्रकाश 2179/FBD के इलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है यह मुकदमा निरीक्षक राजकुमार थाना SVACB/FBD की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है व इस मुकदमे के असल अनुसन्धान अधिकारी निरीक्षक प्रवीण कुमार थाना SVACB, अंबाला है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
VIJENDER SINGH
No. (सं.): 1666FBD to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): MUKESH GIRI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 806FBD

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.